न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–01/85/2025 ऑनलाईन नम्बरः– 2025/2025 दर्ज तिथिः–05.08.2025

1. मुकेश कुमार गौड पुत्र भौरे लालगौड जाति ब्राहम्ण आयु.....साल निवासी ग्राम तालाव तहसील टहला जिला अलवर।

..... अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. शुभांकर बनर्जी पुत्र जी.पी. बनर्जी निवासी मकान नम्बर के–19 बी द्वितीय फलोर कालकाजी अली एरिया दक्षिण दिल्ली 110019।
2. ज्योती बनर्जी पत्नी शुभांकर बनर्जी निवासी मकान नम्बर के–19 बी द्वितीय फलोर कालकाजी अली एरिया दक्षिण दिल्ली 110019।
3. तहसीलदार सहाब कम सब रजिस्टार साहब टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण/प्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रकिया संहिता–1908

उपस्थितः–श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एड0 प्रार्थी/प्रतिवादी
श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0 अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांकः–25.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88 188 के तहत आराजी खाता संख्या 26 खसरा संख्या 3652/0.20, 3653/0.07, 3654/0.02, 3655/0.04, 3656/0.08 खाता संख्या 751 खसरा संख्या 3658/0.06 है0 वाके तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जो वादी ने आराजी के असली असल खातेदार श्री ईश्वरी प्रसाद पुत्र बद्री प्रसा द निवासी तालाब से जरिये इकरारनामा दिनांक 20.06.2023 को खरीद की है। उक्त आराजी बे बारे में वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है और अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी 28.12.2023 को असल खातेदार श्री ईश्वरी प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद ब्राहम्ण निवासी तालाब से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। जिसमें स्वयं वादी भी बतौर गवाह आया है। रजिस्टर्ड बयनामा पर अपने हस्ताक्षर किऐ है। वादी ने यह दावा एग्रीमेंट व बकाया पैसे के आधार पर पेश किया है। वो गलत पेश किया है। क्योंकि एग्रीमेंट के आधार पर राजस्थान सरकार के प्रपत्र के अनुसार दावा सुनने का अधिकार माननीय सिविल कोर्ट को होता है। न कि न्यायालय श्रीमान हो है। साथ ही वादी ने इन्ही तथ्यों के आधार पर एक दावा न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ की अदालत में भी कर रखा है। इसलिए वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर क्षेत्राधिकार के अभाव में है। यह है कि इकरारनामा के सन्दर्भ में वाद दावा सिवील न्यायालय में पेश होता हैं और सिवील न्यायालय को ही इकरारनामा के सन्दर्भ में श्रवण करने का अधिकार है। न की राजस्व न्यायालय को अन्त मे प्रार्थना पत्र 0 7 आर 11 जा0दी 0 प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- कि वाद वर्णित आराजी खाता संख्या 26 खसरा संख्या 3652/0.20, 3653/0.07, 3654/0.02, 3655/0.04, 3656/0.08 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला में प्रार्थी/वादी खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 751 खसरा संख्या 3658/0.06 है0 वाके तालाब तहसील टहला जिला अलवर जरिये इकरारनाम खरीद की है। जिससे वादीगण का कोई हित नहीं है। वादी को स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. प्रकरण में वादी/अप्रार्थी ने जवाब पेश नही करते हुए सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया। वकील वादी/अप्रार्थी ने अपने दावे के तथ्यों को मात्र दोहराया और प्रार्थना पत्र अन्त में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 रूल 11 खारीज करने का निवेदन किया गया।

4. बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी की सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने निवेदन किया गया विवादित आराजी खाता संख्या 26 खसरा संख्या 3652/0.20, 3653/0.07, 3654/0.02, 3655/0.04, 3656/0.08 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला में प्रार्थी/प्रतिवादी खातेदार काश्तकार की आराजी है। एग्रीमेंट व बकाया पैसे के आधार पर दावा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने राजस्थान सरकार के प्रपत्र क्रमांकः–प.11( ) भु.अ./संआज/2007/ दिनांक 28.05.2007 के अनुसार जिन मामले में विक्रय करने का अनुबन्ध (Agreement to sale) हो चुका है, उन मामलो में विक्रय मानते हुए मामले की सुनवाई हेतु नही लिया जाना चाहिये क्योंकि अनुबन्ध (Agreement to sale) विक्रय नही है। व अनुबन्ध के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय का है। ना की राजस्व/न्यायालय श्रीमान को। अन्त में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 रूल 11 स्वीकार कर दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—
(a) where it does not disclose a cause of action;
(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;
(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
(e) where it is not filed in duplicate;
(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

6. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर सत्यमेव जयते

7 मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की गहन जॉच की गई। उपरोक्त विवेचन पर यह पाया गया कि दावे की हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना प्रतीत होता है। एग्रीमेंट व बकाया पैसो के लिए सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। हाल में विवादित आराजी प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः–

आदेश है कि–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। एवं दावा वादी खारीज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 25.08.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख मण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर